



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 374]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2016

सं. 12011/13/2016-बी.सी.-II.—चूँकि सोमवार 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग -I खंड - 1 जी.एन. संख्या 67 में प्रकाशित कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प संख्या 12011/14/2004-बी.सी.सी., दिनांक 12 मार्च, 2007 - के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सामान्य सूची के क्रमांक 6 में इरूलर / वेट्टाईकरार को शामिल किया गया था तथा यह समुदाय अभी पुडुचेरी के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है, अतः उपरोक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

" क्रम संख्या 6 के आगे प्रविष्टि यथा इरूलर / वेट्टाईकरार को हटा दिया गया "

बी.एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd December, 2016

No.12011/13/2016-BC-II.—Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Welfare bearing No.12011/14/2004-BCC, dated 12th March, 2007 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-I, G.N.No.67, Monday, 12 March, 2007 in the Union Territory of Puducherry: Common List: Irular/Vettaikarar was included against S.No.6 therein and whereas the said community has now been included in the list of Scheduled Tribes of Puducherry and therefore, the following amendment is made to the above cited resolution namely :

"Against Sl. No.6 - the entry namely Irular/Vettaikarar shall be omitted."

B. L. MEENA, Jt. Secy.